संख्याः /XVII-B-1/2025–09(01)/2024 ई–78645

प्रेषक,

डा0 पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः सितम्बर, 2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत गतिमान परियोजनाओं के सापेक्ष अवशेष धनराशि एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि से व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक–448/नि.अ.क./प्र.जन.वि.कार्य/2025–26, दिनांक 26 अगस्त, 2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट मांग प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासनादेश संख्या 56/XVII-B-1/2025–09(01)/2024, दिनांक 27.01.2025 द्वारा क्रियान्वित कार्यदायी संस्था 'उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर' से संबंधित संलग्न **'परिशिष्ट–1'** में उल्लिखित विवरणानुसार कुल 06 परियोजनाओं की अवशेष कुल **धनराशि ₹ 2612.904 लाख (₹ छब्बीस करोड बारह लाख नब्बे हजार चार सौ मात्र) (केन्द्रांश ₹ 2351.616 लाख + राज्यांश ₹ 261.288 लाख)** को एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि से निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उपरोक्त कार्य को उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से ही वांछित गुणवत्ता एवं समयबद्धतापूर्वक सम्पूर्ण कराया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा तथा गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा।
3. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने के पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप की सामग्री प्रयोग में लायी जाये।
6. उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण कर एवं अन्य समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर अधिकतम 15 दिनों में कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उक्त कार्य को सम्पादित कराते समय PMJVK योजना की नवीन गाईडलाइन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006)/20, दिनांक 30.05.2006 में निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा।
11. विषयगत कार्य हेतु पूर्व आवंटित एवं द्वितीय किश्त की धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण सहित अद्यतन रंगीन छायाचित्र शासन को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि का फंड पार्किंग किसी भी दशा में न की जाए।

13. योजना के संचालन हेतु दिशा–निर्देश/मानक निर्धारित करते हुए स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
14. उक्तानुसार स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में योजना की स्वीकृति संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त शासनादेशों सहित योजना की गाईडलाईन तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
15. उक्तानुसार स्वीकृत परियोजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/ई–79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025, पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–56/XVII-B-1/2025–09(01)/2024, दिनांक 27.01.2025 एवं शासनादेश संख्या–225/XVII-B-1/2025–09(01)/2024, दिनांक 03.04.2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों एवं समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत संचालित एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) से किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/ई–79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–परिशिष्ट–1

Digitally signed by
Parag Madhukar Dhakate
Date: 13-10-2025
12:53:01

भवदीय,

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव।

संख्या : ( )/XVII-B-1/2025–09(01)/2024 ई–78645 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल।
10. संबंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण)।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
HIRA SINGH
Date: 13-10-2025
13:21:16

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।

परिशिष्ट–1

संख्या– /XVII-B-1/2025–09(01)/2024 ई–78645, दिनांक सितम्बर, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य/परियोजना का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल धनराशि	पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि (केन्द्रांश + राज्यांश)	वर्तमान में मांग की गयी धनराशि (केन्द्रांश + राज्यांश)
1	2	3	4	5	6
1.	**नैनीताल**	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल ब्लॉक–1 हयूमैनिटिज एण्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मीडिया स्टडीज का निर्माण।	**967.74**	**532.256 (479.03 + 53.226)**	**435.484 (391.936 + 43.548)**
2.		उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल ब्लॉक–2 स्कूल ऑफ सोशियल एण्ड स्कूल ऑफ लॉ का निर्माण।	**967.74**	**532.256 (479.03 + 53.226)**	**435.484 (391.936 + 43.548)**
3.		उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल ब्लॉक–3 स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज एण्ड स्कूल ऑफ हैल्थ साईंस का निर्माण।	**967.74**	**532.256 (479.03 + 53.226)**	**435.484 (391.936 + 43.548)**
4.		उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल ब्लॉक–4 स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साईंस एण्ड आई0टी0 एण्ड स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज का निर्माण।	**967.74**	**532.256 (479.03 + 53.226)**	**435.484 (391.936 + 43.548)**
5.		उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल ब्लॉक–5 स्कूल ऑफ एजुकेशनल एण्ड स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साईंस का निर्माण।	**967.74**	**532.256 (479.03 + 53.226)**	**435.484 (391.936 + 43.548)**
6.		उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एण्ड टूरिज्म स्टडीज एण्ड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज का निर्माण।	**967.74**	**532.256 (479.03 + 53.226)**	**435.484 (391.936 + 43.548)**
			5806.44	**3193.536**	**2612.904**

(धनराशि ₹ छब्बीस करोड बारह लाख नब्बे हजार चार सौ मात्र)

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।